DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)

Wednesday 17th June, 2015/ 27 Jyeshtha 1937 (Saka)

No. 20

COMMENCEMENT OF THE FOURTH PART OF FIRST SESSION (BUDGET SESSION) OF THE SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATION CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Fourth Part of First Session (Budget Session) of the Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Tuesday, the 23rd June 2015 at 02.00 PM in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING FOURTH PART OF FIRST SESSION:

The sitting of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 23, 24, 25, 26, 29 and 30th June, 2015.

TIME OF SITTING:

The sittings of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day.

NOTICE OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Fourth Part of First Session will be received with immediate effect.

As per the direction of Hon'ble Speaker question hour will be held on 29th & 30th June, 2015.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE FOURTH PART OF FIRST SESSION (RULE 37):

For the Fourth Part of First Session (Budget Session), the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged so far as under:

Sl. No.	Group of **Departments**	Date of **Sitting**	**Last date for receipt** of questions for the Department in col. 2 **(Up to 3.00 PM)**	Date of holding **balloting** for determination of priority for oral questions **(At 5.00 PM)**
1	2	3	4	5
	Urban Development, Food & Supplies, Services, Administrative Reforms, Art & Culture, Jail, Entertainment, Training & Technical Education , Employment, Education, Languages, Finance, Value Added Tax(VAT), Excise, Home, Revenue, Cooperative, Prevention of Food Adulteration, Election, Transport, Law Justice & Legislative Affairs, Information Technology, Planning, Information & Publicity	29th June 2015 Monday	19th June 2015 Friday	19th June 2015 Friday
2	Land and Building, PWD & Housing, General Admn. Deptt. (GAD), Development, Higher Education, Vigilance, Tourism, Welfare of SC/ST/OBCs, Social Welfare, Women & Child Welfare, Medical & Public Health, Health and family Welfare, Public Relations, Gurudwara Administration and Elections, Labour, Irrigation & Flood Control, Industries & Water, Power, Environment, Forest & Wildlife	30th June 2015 Tuesday	19th June 2015 Friday	19th June 2015 Friday

Note:

(1) The question should primarily relate to one Department only {(Rule 31 (xxii)}.

(2) Members may kindly note that if notice of question is received after the last date and time in respect of various departments vide col. No. 3 and 4, such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of notices shall be upto 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for departments as shown in column 4 above.

(3) Where the questions draw a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible must be accompanied by the relevant clipping of the news items. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.

(4) The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received. Notices or questions subsequently received and repeating in substances the same subject-matters are liable to be disallowed {(Rule 31(vii)}.

(5) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.

(6) Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No.-54) as per schedule indicated Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

(7) Members May kindly note that notices of questions relating to day-to-day administration and functioning of Municipal Corporation of Delhi may not be entertained. The same are liable to be disallowed under Rule 31(xiii).

SHORT NOTICE QUESTION:

Whenever a member desires to ask a short notice question he shall give not less than three clear days notice of such a question in writing to the Secretary. The Secretary will ordinarily obtain the orders of the Speaker regarding the admissibility of the question within 24 hours of its receipt.

The number of such priority given questions on the List of Business for the day shall not exceed three and not more than one question of any one member shall be placed therein.

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 11.00 A.M on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PRIVATE MEMBER'S BUSINESS:

The sittings of the House to be held on Friday the 26th June 2015 have been allotted for Private Members Business.

The last date of receipt of notices of Private Member's Bills & Resolutions for ***Friday the 26th June 2015 is 19th June 2015 up to 3.00 P.M.*** The balloting shall take place at 4.30 P.M on same day in the room of Secretary. Members are welcome to participate in balloting.

PROCEDURE OF NOTICES:

(a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:

(1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Officer between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.

(2) A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.

(b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office. **THE NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46**

(c) All notice delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.

(e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours.

VISITOR'S GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 23.06.2015 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e, 22.06.2015. Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them and to assure that any person in the visitor's gallery may not clap or hoot.

NOTE:- CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE. IF SOMEHOW BROUGHT IN THE HOUSE, HON'BLE MEMBERS MAY KINDLY ENSURE THAT THESE ARE KEPT SWITCHED OFF.

P.R. Meena
Secretary

THE FOURTH PART OF FIRST SESSION OF SIXTH ASSEMBLY

Provisional Calendar of Sittings

Sitting	Date	Day	Business
1.	23rd June, 15	Tuesday	Government Business
2.	24th June, 15	Wednesday	Government Business
3.	25th June, 15	Thursday	Government Business
4.	26th June, 15	Friday	**Private Members Day**
5.	27th June, 15	Saturday	**Holiday**
6.	28th June, 15	Sunday	**Holiday**
7.	29th June, 15	Monday	Government Business
8.	30th June, 15	Tuesday	Government Business

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी
बुधवार, 17, जून, 2015/ ज्येष्ठ 27,1937 (शक)

संख्या : 20

<u>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा के पहले सत्र के चौथे भाग (बजट सत्र) का प्रारंभ:</u>

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा के पहले सत्र का **चौथा भाग (बजट सत्र) मंगलवार, दिनांक 23 जून, 2015 को अपराहन 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारंभ होगा ।**

<u>चौथे सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आबंटन:</u>

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 23,24,25,26 एवं ,29 एवं 30, जून, 2015 के लिए निर्धारित की गई हैं ।

<u>विधान सभा की बैठकों का समय:</u>

विधान सभा की बैठकें अपराह्न 2.00 बजे प्रारंभ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये।

<u>प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेट:</u>

छठी विधान सभा के प्रथम सत्र के चौथे भाग के लिये प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी ।

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रश्नकाल दिनांक 29 एवं 30 जून को होगा।

बजट सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दिनों का आबंटन नियम-37:

मंत्रियों द्वारा पहले सत्र के चौथे भाग में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है: -

क्र. सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम-2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि (अप. 3.00 बजे तक)	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप. 5.00 बजे)
1	2	3	4	5
1	शहरी विकास विभाग, खाद्य एवं संभरण, सेवाएं, प्रशासनिक सुधार, कला एवं संस्कृति, जेल, मनोरंजन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, रोजगार, शिक्षा, भाषा, वित्त, व्यापार एवं कर, आबकारी, गृह, राजस्व, सहकारिता, खाद्य अपमिश्रण, चुनाव, परिवहन, विधि न्याय एवं विधायी, सूचना प्रोद्योगिकी, योजना, सूचना एवं प्रचार,	29.06.2015 (सोमवार)	19.06.2015 (शुक्रवार)	19.06.2015 (शुक्रवार)
2	भूमि एवं भवन, लोक निर्माण विभाग, सामान्य प्रशासन, विकास, उच्च शिक्षा, सतर्कता, पर्यटन,अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गुरूद्वारा प्रशासन एवं चुनाव, श्रम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव	30.06.2015 (मंगलवार)	19.06.2015 (शुक्रवार)	19.06.2015 (शुक्रवार)

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य:

शुक्रवार, 26 जून, 2015 की तिथि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिये निर्धारित की गई हैं।

शुक्रवार, 26 जून,2015 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की **अंतिम तिथि 19 जून, 2015 को अपराह्न 3.00 बजे तक है। जिनके लिये बैलेटिंग उसी दिन अपराहन 4.30 बजे सचिव के कक्ष में सम्पन्न होगी।**
माननीय सदस्यों का बैलेटिंग में भाग लेने के लिए स्वागत है ।

नोटिसों की प्रक्रिया

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार से हैं: -

c. नियमों द्वारा अपेक्षित **प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायगी** जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जायेगी तथा कार्यालय में ही दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा ।

d. सूचना कार्यालय में उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेगी

(ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के **नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए । नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 स्थित** है ।

(ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है

(घ) **विधान सभा के नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है** । अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न हीं विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिये गये नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(ड.) माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस आफिस कार्यालय समय के दौरान खुला रहेगा।

दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं । उदाहरणार्थ 23/06/2015 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 22/06/2015 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे ।

टिप्पणी:

1. प्रश्न सामान्यत: एक ही विभाग से संबंधित होने चाहिए (नियम-31(xxii)) आठवें सत्र, हेतु प्रश्नों की सूचना **तत्काल प्रभावी** होगी ।
2. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दर्शाए गए कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी । सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक है ।
3. **जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है।** इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
4. प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी । बाद में प्राप्त की गयी सूचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होगी तो उन्हें नियम-31(vii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।
5. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें । यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कमरा नं.54 में दिए गये समयानुसार की जायेगी । सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलत होने के लिए आमंत्रित है ।
7. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिल्ली नगर निगम के दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं । ऐसे प्रश्नों को नियम 31(xiii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा।

अल्प-सूचना प्रश्न :

जब कोई सदस्य अल्प-सूचना प्रश्न पूछना चाहे तो वह ऐसे प्रश्न की कम-से-कम पूरे तीन दिन की पूर्व सूचना लिखित रूप में सचिव को देंगे। सचिव साधारणतया प्रश्न को अल्प-सूचना प्रश्न के रूप में स्वीकार्यता पर उसकी प्राप्ति से 24 घंटे के भीतर अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त करेंगे। किसी दिन की कार्य-सूची में ऐसी प्राथमिकता वाले प्रश्नों की संख्या तीन से अधिक नहीं होगी और इसमें किसी एक सदस्य के एक से अधिक प्रश्न को नहीं रखा जाएगा।

नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते है, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है ।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे **विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ हीं पढ़ें** । विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए । **विधान सभा सचिवालय संबंधित विभाग को प्राय: उल्लेख के पाठ को हीं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजता है।**

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे । दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यत: उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल टेलिफोन आदि सदन के बाहर ही रखें ।

यदि किसी कारणवश ले आये हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सदन में इनके स्विच बंद रहें ।

पी. आर. मीणा
सचिव

दिल्ली विधान सभा

छठी विधान सभा के पहले सत्र के चौथे भाग के (बजट सत्र) में बैठकों का अस्थायी तिथि-पत्र

क्र.सं.	बैठक की तिथि	विषय
01	23.06.2015	सरकारी कार्य
02	24.06.2015	सरकारी कार्य
03	25.06.2015	सरकारी कार्य
04	26.06.2015	गैर सरकारी सदस्यों का कार्य
	27.06.2015	शनिवार(अवकाश)
	28.06.2015	रविवार(अवकाश)
05	29.06.2015	सरकारी कार्य
06	30.06.2015	सरकारी कार्य